गयी कुल 7.90 उचित दर की दुकानों में से 558 दुकानों के पास 4000 से कम यूनिट है। 29-3-82 को दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 5671 के उत्तर के बाद स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) जहां कहीं संभव होता है, अनुमत सीमा से अधिक संख्या में यनिट रखने वाली दुकानों से यूनिट उन नयी खोली गयी दुकानों को अन्तरित कर दिये जाते है जिनके पास 4000 से कम यूनिट होते हैं। यह कार्य इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि नई दुकान किस जगह पर स्थित है और खाद्य कार्डधारी को विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं का अपना कोटा लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा। कुछ मामलों में ऐसे अन्तरण पर खाद्य कार्डधारियों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई और इस आधार पर विरोध प्रकट किया गया कि उन्हें इससे असुविधा हुई है। इस प्रकार उन्हें खाद्य कार्डधारियों के हित में फिर से पहले स्थान पर अन्तरित करना पड़ा।

(ग) कश्मीरी गेट, राजपुर रोड, बेला रोड, नया बाजार, बाड़ा हिन्दू राव, बस्ती हरफूलसिंह कसाबपुरा, तिमारपुर, चांदनी चौक, खारी बावली टैगोर गार्डन, बिजवासन, राजौरी गार्डन, हरीनगर, उत्तम नगर, बापा नगर, देवनगर, पहाड़गंज, नबी करीम, मिन्टो रोड, फराशखाना, अजमेरी गेट, कमला मार्केट प्रेसीडन्ट्स एस्टेट, कर्जन रोड, फिरोजशाहा रोड, किलोकड़ी, सरायकाले खां, बसन्त बिहार, रामाकृष्णपुरम (सैक्टर 1, 3, 8, 9), यशवन्त पैलेस, पृथ्वी राज रोड, लोधी रोड, खान मार्किट और राजेन्द्र नगर ऐसे क्षेत्र जिनके लिए पहले 19-1-81 को नयी उचित दर की दुकानें अधिसूचित की गयी थीं, परन्तु इनके लिए आवेदन बहुत कम प्राप्त हुए हैं। इनके नोटिस मूलतः समाचार-पत्रों में विज्ञापित किये गये थें तथा समय-समय पर सर्कल कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी लगाये गये थे। संबंधित सर्कल अधिकारियों ने इन क्षेत्रों के दुकानदारों को इस बात के लिए राजी करने के लिए भी प्रयास किये कि वे उचित दर की दुकानों के लिए लाइसेंस लें परन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ है। यह बात इन क्षेत्रों में उपयुक्त परिसर न मिलने तथा यहां के ऊंचे किरायों/व्यापारिक महत्व के कारण हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन के नागरिक आपूर्ति आयुक्त के कार्यालय में ऐसा कोई औपचारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) नई उचित दर की दुकानों को जैसे-जैसे ये दुकानें अपने अपने को जमाती जायेंगी और उपभोक्ताओं में इनकी सखा बढ़ती जायेगी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर खाद्य कार्ड मिलेंगे। सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिए निरंतर प्रयास किये जाते हैं और यह बात इन वस्तुओं की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करती है।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस वर्कर्स यूनियन अलीगढ़ (यू० पी०)

7437. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में पंजीकृत यूनियनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या अलीगढ़ मुद्रणालय में राजकीय प्रेस मजदूर संघ नामक एक यूनियन भी है, और क्या इस यूनियन

में नियम के अनुसार वर्ष 1967 से 1979 तक की अवधि के दौरान फार्म 'जे' और 'के' प्रस्तुत नहीं किया था; और

(ग) यदि इस यूनियन गे लगातार 12 वर्षों से प्रतिवर्ष फार्म 'जे' और 'के' भरकर प्रस्तुत नहीं किया है, तो यह यूनियन किस प्रकार कार्य कर रही है और क्या सरकार ने इसका पंजीकरण रद्द नहीं किया है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पट पर रख दी जायेगी।

Provision of Basic Amenities in the Approved Colonies Existing in West Zone of MCD

7438. SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the residential colonies in the G-4 Sector of Master Plan, viz Manohar Park, Ashoka Park Extension, Ashoka Park (Main), Madan Park, Jaidev Park, Bhagwandass Nagar situated along Rohtak Road and East of Punjabi Bagh (Eastern Sector) in the West Zone of the Municipal Corporation Delhi, are recognised and approved ones;

(b) if so, whether Municipal Corporation of Delhi have made the requisite provision for minimum level of social amenities like street lights, roads, pavements and drains therein;

(c) whether Municipal Corporation of Delhi have not repaired the roads in this area for the last 10 to 12 years; if so, reasons thereof;

(d) whether sewerage water always remains standing on the streets of these colonies for want of proper drainage; and

(e) whether Delhi Development Authority is considering to provide any common facility like 'barat ghar' Community Centre on the DDA's vacant land lying on the crossing of Rohtak Road with Lawrence Road, if so, full details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) to (e). The information is bejng collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Promotions to selection posts in CPWD

7439. SHRI DOONGAR SINGH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) the policy regarding the promotion for selection posts framed by D.G. (Works) Central P.W.D. is that all the promotions to the higher grade will be given on the basis of seniority-cum-fitness and it is in practice in the promotions of J.E. (Civil, Electrical, Mechanical), Head Clerks and Office Superintendents in Central P.W.D., but in the promotion of Section Officers (Horticulture) to the post of Asstt. Directors (Hort.) this policy is violated as shown vide Office Order No. 565 of 1981, issued on September 14, 1981;

(b) the above Office Order shows that the promotion of first six section officers (Hort.) have been given promotion on the basis of saniority cum fitness, when the another seven promotions have been given to the S.O. (Hort.) on the basis of merit-cum-seniority as notified in the same office order; and

(c) the action taken to rectify the position in the matter?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) As per provision of recruitment rules the promotion from the grade of Junior Engineer to Assistant Engineer (Civil & Electrical), and Office Superintendents are made on the basis of merit-cum-seniority. Appointments to the grade of Head Clerk are made 50 per cent on the basis of limited Departmental Competitive Examination and 50 per cent by promotion on the basis of Seniority subject to rejection of unfit. Promotions to the garde of Assistant Director of Horticulture are made on the basis of